न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 350–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–1–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 7/अ–6/2012–13.

भंवरीबाई उर्फ भंवरबाई पति भंवरलाल
निवासी ग्राम ताजपुर उकाला ग्राम चौकी नसीराबाद
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
------ आवेदिका

विरूद्ध

1. महेश पिता देवीराम मालवीय
   निवासी स्टेट बैंक के पीछे (राहुल विडयो)
   शुजालपुर मण्डी तहसील शुजालपुर
   जिला शाजापुर म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम चौकी
   नसीराबाद तहसील तहसील शुजालपुर
   जिला शाजापुर म0प्र0

------ अनावेदकगण

.....

श्री द्वारिकाधीश चौधरी, अभिभाषक आवेदिका
श्री एच.सी. जैन, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–1–-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार शुजालपुर के न्यायालय में भूमि सर्वे कमांक 55/1 रकबा 1.045 हे0 सर्वे कमांक मिन–67 रकबा 0.850 हे0 सर्वे

कमांक मिन 67 रकबा 0.627 हे0 कुल रकबा 2.522 हे0 भूमि कय करने के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदिका ने नामांतरण प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की। आवेदिका की ओर से दिनांक 25–10–2013 को आदेश 26 नियम 4क तथा आदेश 18 नियम 19 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर कमीशन नियुक्त करने बावत प्रस्तुत किये जिसे नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–1–14 के द्वारा निरस्त किया गया तथा भंवरबाई के प्रतिपरीक्षण के लिए नियत किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका अभिभाषक ने तर्क में कहा कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत नामांरण प्रकरण में आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। वह प्रकरण में उपस्थित हो रही थी अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हो जाने एवं चलने फिरने में असमर्थ होने से उसके द्वारा आदेश 26 नियम 4क तथा आदेश 18 नियम 19 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर कमीशन नियुक्त करने बावत प्रस्तुत किया गया था जिसे नायब तहसीलदार ने बिना किसी आधार के निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रतिपरीक्षण हेतु कमीशन नियुक्त करवाये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

4/ अनावेदक कं0 1 के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदिका पूर्व में उपस्थित हो रही है। आवेदिका की ओर से बिना किसी कारण के घर पर प्रतिपरीक्षण हेतु कमीशन नियुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे नायब तहसीलदार ने निरस्त किया है। यह भी तर्क दिया कि आवेदिका की ओर से किसी गंभीर बीमारी के होने अथवा किसी डॉक्टर से प्रदाय कोई प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से इस प्रकार के आवेदन एवं निगरानी प्रस्तुत कर रही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक कमांक 1 द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर पंजीबद्ध नामांतरण प्रकरण में

आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की। आवेदिका इस प्रकरण में लगभग दो वर्ष तक उपस्थित होती रही। आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आदेश 26 नियम 4क तथा आदेश 18 नियम 19 सी0पी0सी0 के आवेदन का अवलोकन किया, जिसमें आवेदिका की 71 वर्ष वृद्ध महिला होने से अक्सर बीमार रहने के आधार पर प्रतिपरीक्षण हेतु कमीशन नियुक्त करने का अनुरोध किया है। आवेदिका की ओर से किसी गंभीर बीमारी का प्रमाण अथवा चलने फिरने में असमर्थ संबंधी किसी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर बयान नहीं दे सकती है क्योंकि उसके पूर्व आवेदिका न्यायालय की कार्यवाही शामिल होती रही है। इसी कारण नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–1–14 को आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है तथा आवेदिका के प्रतिपरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदिका तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिपरीक्षण करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। नायब तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–1–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर